कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांकः 2016/20376/केएनसी/का0न0/520/सीएफओ दिनांकः अप्रैल 12 ,2016

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक,
कानपुर विकास प्राधिकरण,
कानपुर।

विषयः मेसर्स ग्रेसलैण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा आराजी सं0 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203 एवं 1205 मेहरबान सिंह का पुरवा गुजैनी कानपुर नगर में प्रस्तावित आवासीय भवन, हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किऐ जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांकःडी/367/भव/14–15 दिनांकः04.4.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आराजी सं0 आराजी सं0 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203 एवं 1205 मेहरबान सिंह का पुरवा गुजैनी कानपुर नगर में प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की अपेक्षा की गई है।

प्रश्नगत भवन के प्रेषित मानचित्रों एवं अभिलेखों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी फजलगंज कानपुर नगर द्वारा कराया गया। निरीक्षणोपरांन्त दिनांकः 11.4.2016 को उपलब्ध कराई गयी आख्या व मानचित्रों का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, आख्या विन्दुवार निम्नवत हैः–

भवन की संरचना :–

1– कुल भूखण्ड एरिया–5317.69 वर्गमी0।

1. भूतल/स्टिल्ट का कवर्ड एरिया 2225.67 वर्गमी0।
2. प्रथम तल से छठवें तल प्रत्येक का कवर्ड एरिया– 1559.74 वर्गमी0
3. सातवें तल का कवर्ड एरिया– 1331.74 वर्गमी0
4. आठवें तल का कवर्ड एरिया– 1331.74 वर्गमी0
5. नवें तल का कवर्ड एरिया–988.38 वर्गमी0
6. कुल कवर्ड एरिया– 13010.30 वर्गमी0
7. बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया– शून्य वर्गमी0
8. बेसमेन्टं द्वितीय का कवर्ड एरिया– शून्य वर्गमी0
9. भवन की ऊँचाई 29.70 मी0

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय भवन की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्था :–

1. **पहुँच मार्ग–** भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 18.00 मीटर रोड की चौडाई है।
2. **प्रवेश द्वार की चौडाई–** प्रवेश द्वार की चौडाई 4.57 मी0 हैं जो मानक के अनुसार है।
3. **सैटबैक** – प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत हैः–

ए– अग्रभाग– न्यूनतम 10.00 मी0
बी– पृष्ठभाग– न्यूनतम 10.00 मी0
सी– पार्श्व भाग प्रथम– न्यूनतम 10.00 मी0
डी– पार्श्व भाग द्वितीय– न्यूनतम 10.00 मी0

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेंगें। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4. **निकास मार्ग–** भवन में 04 स्टेयरकेस 1.50 मी0 चौडाई के प्रस्तावित हैं तथा 04 लिफ्ट का प्राविधान किया गया है। जिनकी फ्लोर व समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।
5. रिफ्यूज एरिया का विवरण– शून्य

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– नेशनल विल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य हैः–

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर

1. **भूमिगत टैंक**– आवश्यक नहीं है।
2. **पम्प**– आवश्यक नहीं है।
3. **होजरील** – भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0 3844 मानकों के अनुसार आवश्यक है।
4. **डाउनकमर**– डाउनकामर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक है।
5. प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेन्ट्स होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं इन्लेट का प्राविधान आवश्यक नहीं है।
6. **हस्ताचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम**– मैनुअल आपरेटेड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।
7. **स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम**– आवश्यक नहीं है।
8. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम**– आवश्यक नहीं है।
9. **टैरेस टैंक**– प्रश्नगत भवन की टेरिस पर 25000 ली0 क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
10. **टैरेस पम्प**– भवन के टेरेस पर टैरेस टैंक के पास 900 एलपीएम क्षमता का टेरेस पम्प प्रस्तावित है।
11. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)**– भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान कराया जाना आवश्यक है।
12. **स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम**– स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम–
    ए– फायर चैक डोर, स्मोक चैक डोर की लोकेशन व रेटिंग का– आवश्यक नही है।
    बी– सिस्टम की मैकअप एयर हेतु व्यवस्था –आवश्यक नहीं है।
    सी– स्मोक रिजर्व वायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण–आवश्यकता नही है।
13. **प्रेशराइजेशन प्रणाली**–
    1. स्थानों पर प्रेशराइजेशन की गई है व प्रयुक्त होने वाले फैन्स की डक्टिंग इत्यादि आवश्यक नही है।
    2. प्रेशराइजेशन सिस्टम, डिटेक्शन से इण्टलॉकिंग– आवश्यक नही है।
14. **एक्जिट साइनेज**– सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
15. **पी0ए0 सिस्टम**– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित करायी जानी आवश्यक है।

अतः अग्निशमन अधिकारी फजलगंज, कानपुर नगर की संस्तुति के आधार पर उपरोक्तानुसार मेसर्स ग्रेसलैण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा आराजी सं0 1195, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203 एवं 1205 मेहरबान सिंह का पुरवा गुजैनी कानपुर नगर में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन, हेतु अग्निशमन प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा एन0बी0सी0 2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजिनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नःअनुमोदित मानचित्र।

12.4.16
(वी0पी0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
कानपुर नगर।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
कानपुर नगर

प्रतिलिपिः–
1. अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज को उनकी आख्या के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मेसर्स ग्रेसलेण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0 निवासी 375/3 नारायन कुटी नियर चकेरी रेलवे स्टेशन सनिगवां कानपुर को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ।